

## न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 12/24/2025 रजि० नं० 2025/100 प्रवेश तिथि 10.02.2025 निर्णय दिनांक 19.03.2025  
1- दयाराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा।  
(राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

- 1- तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)
- 2- सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा।  
(राजस्थान)
- 3- कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा।  
(राजस्थान)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 26.03.2024 प्रकरण संख्या 259/2023 धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये आराजी खसरा न० 1121/164 के रकबा 0.02 है० से बैदखल किये जाने हेतु पारित पारित किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थित-

01. श्री सीताराम चौधरी
02. पृथ्वीसिंह यादव

-वकील अपीलान्ट

-वकील रेस्पोडेन्ट

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.03.2024 प्रकरण संख्या 259/2023 धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत आराजी खसरा न० 1121/164 रकबा 0.1125 है० किस्म गैरमुमकिन सडक में से 0.02 है० भूमि पर आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी को मौके से बैदखल किये जाने हेतु निर्णय पारित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न० 164 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर में भगवानाराम पुत्र श्योदान के कब्जेकाशत एवं खातेदारी की आराजी रही है, आराजी आबादी क्षेत्र के साथ स्थिति रही है। तथा मिन अपीलान्ट के पिता ने उक्त आराजी में से 10 बिस्वा आराजी वर्ष 1999 में वास्ते रिहायस जरिये इकरारनामा दिनांक 10.03.1999 को खरीद किया था, लेकिन उक्त आराजी को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1993 में अवाप्त कर लिया गया, लेकिन अवाप्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज नहीं हुआ तथा न ही आराजी को चिन्हित किया गया तथा वक्त खरीद करते समय राजस्व रिकार्ड देखने पर भी अवाप्त भूमि की जानकारी नहीं हुयी तथा मिन अपीलान्ट के पिता ने जायदाद खरीद करने के बाद अपने चारो पुत्र में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, भाग में जायदाद का विभाजन कर दिया तथा चारो भाईयो में 3 आर्मी में सर्विस कर रहे थे, तथा रिटायमेंट आने के बाद अपने हिस्से की जायदाद में अपने आर्मी रिटायर्ड से मिले पैसे लगाकर अपने रिहायशी मकान बनाकर

रहवास कर रहे हैं। मिन अपीलान्त वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर का रहने वाला है, तथा अपीलान्त के पिता जरिये इकरारनामा दिनाक 10.03.1999 को खरीदशुदा आराजी खसरा न0 164 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा में से रकबा 10 बिस्वा रहा है, तथा अपीलान्त अपने हिस्से की जायदाद पर ही अपने रिहायश मकानात बनाये गये हैं। मिन अपीलान्त द्वारा किसी प्रकार से गैरमुमकिन सडक के रकबा 0.02 है0 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त आराजी खसरा न0 164 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा में से कुछ भाग को अवाप्त किया गया था, लेकिन अवाप्त का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज नहीं हुआ था। तथा न ही कोई भूमि चिन्हित की गयी थी, जिस कारण मिन अपीलान्त द्वारा अपने पिता की खरीदशुदा आराजी में अपने रिहायशी मकानात का निर्माण किया था। तथा निर्माण करने के बाद से कभी भी किसी भी संस्था, राजस्व कर्मचारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा वक्त खरीद से ही मिन अपीलान्त अपनी खरीदशुदा जायदाद पर काबिज है, तथा उपयोग-उपभोग कर रहा है। लेकिन वर्तमान सैटमेंट के दौरान गत आराजी खसरा न0 164 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा के हाल आराजी खसरा न0 1121/164 पैमूद करते समय मिन अपीलान्त के पिता की खरीदशुदा जायदाद जिसमें मिन अपीलान्त द्वारा निर्माण किया है, को गैरमुमकिन सडक में दर्शित कर दिया गया है, जबकि मिन अपीलान्त द्वारा किसी भी प्रकार से गैरमुमकिन सडक की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं किया है, तथा मिन अपीलान्त द्वारा कई बार जिला कलक्टर अलवर/खैरथल-तिजारा को प्रार्थना पत्र पेश किया, तथा उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अपीलान्त को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपना आलोच्य आदेश पारित कर दिया। मिन अपीलान्त द्वारा किसी भी प्रकार से गैरमुमकिन सडक की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा गलत तरीके से बिना रिकार्ड देखे व बिना रिकार्ड की जाँच किये खिलाफ मौका व खिलाफ कानून अतिक्रमण करने की रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश कर दी गयी और तहत अदालत द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिया तथा मिन अपीलान्त की तामीन होने पर मिन अपीलान्त द्वारा तहत अदालत के समक्ष नोटिस का जवाब पेश कर प्रकरण को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। मिन अपीलान्त आगामी तारीख पेशी पर नहीं गया। जिस पर तहत अदालत द्वारा अपीलान्त को बिना सुने एक्सपार्टी की जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.03.2024 की जानकारी मिन अपीलान्त को पूर्व में नहीं थी, दिनाक 14.06.2024 को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मिन अपीलान्त को जायदाद से बेदखल करने का नोटिस प्राप्त होने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई। जानकारी होने पर मिन अपीलान्त द्वारा पारित निर्णय की नकल हेतु दिनाक 17.06.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया। जो नकल दिनाक 19.06.2024 को प्राप्त हुई, जिस पर मिन अपीलान्त ने तहत अदालत से उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु कहा तो तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्त को निर्माण को मिसमार कर जायदाद से बेदखल करने व गिरफ्तार कराने की धमकी दी गयी। यदि वाकई रेस्पोंडेन्टान इन बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गये तथा मिन अपीलान्त के निर्माण को मिसमार कर, मिन अपीलान्त को बेदखल कर दिया तो मिन अपीलान्त को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी, चूँकि मिन अपीलान्त के हक व अधिकार कानून द्वारा रक्षित हैं। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.03.2024 की जानकारी मिन अपीलान्त को पूर्व में नहीं थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 17.06.2024 को होने पर नियमानुसार नकल आदि प्राप्त कर कानूनी सलाह मशवरा प्राप्त कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पृथक से पेश कर निवेदन है, कि दिनाक 26.03.2024 से 14.06.2024 तक का समय गुजरा है, को माफ किया जाकर अपील अपीलान्त अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.03.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोजेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्त द्वारा अपील पेश करते समय अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 41 नियम 5 एवं धारा 151 जा० दी० पेश किया है, मूल अपील में रेस्पोजेन्टान सार्वजनिक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता मुण्डावर व कनिष्ठ अभियन्ता मुण्डावर को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि स्थगन प्रार्थना पत्र में रेस्पोजेन्टान को पक्षकार बनाते हुए रेस्पोजेन्टान के विरुद्ध स्थगन जारी करने हेतु पेश किया गया है। विवादित भूमि आराजी खसरा न० 164 साबिक आराजी खसरा न० 135 वाके ग्राम भानोत में अजरका से सोडावास सडक पर ग्राम भानोत में बाईपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी वृत्त पंचम जयपुर के द्वारा पारित अवाई दिनाक 31.03.1993 के द्वारा भूमि अधिग्रहण की गयी थी, भूमि अधिग्रहण के समय यह सडक ग्रामीण सडक की क्षेणी में थी, एवं वर्ष 2005 में सडक का उन्नयन स्टेट हाईवे में किया गया राजस्व रिकार्ड में रेस्पोजेन्टान का अमल दर्ज हो चुका है, लेकिन अपीलान्त का नाम आज भी दर्ज नहीं है। अपीलान्त अतिकमी है, जिसने जानबूझकर अधिग्रहण की गयी भूमि पर निर्माण किया है। अपीलान्त द्वारा अपील में जो तथ्य अंकित किये हैं, वे विरोधाभासी हैं। अपीलान्त एक तरफ तो कहता है, कि अपीलान्त द्वारा किसी भी प्रकार से गैरमुमकिन सडक की भूमि रकबा 0.02 है० पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, अपने पिता की खरीदशुदा आराजी में अपने रिहायशी मकान का निर्माण किया था, निर्माण करने के बाद से कोई संस्था राजस्व कर्मचारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया दर्ज किया गया है वह गलत है। अपीलान्त द्वारा एक दावा बृहमा देवी बनाम सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायालय मुण्डावर में दायर किया था, जिसमें अपीलान्त का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका हैं। उसके उपरान्त माननीय ए. डी. जे न्यायालय मुण्डावर में अपील दायर की गयी वह भी खारिज हो चुकी है। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अपीलान्त को धारा अन्तर्गत 91 एल. आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलान्त द्वारा नोटिस का जवाब तथा साक्ष्य सबूत पेश किये गये। अपीलान्त ने स्वयं: स्वीकार किया गया कि, आराजी खसरा न० 164 सन 1993 में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त हो चुका था। उचित कार्यवाही/सुनवाई के बाद तहसीलदार मुण्डावर ने अपीलान्त को गैरमुमकिन सडक की आराजी पर अतिक्रमण किये जाने पर नियमानुसार बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा मुकदमा संख्या 259/2023 में निर्णय पारित करने में कहीं कोई त्रुटि नहीं की गयी है। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा उचित अवसर दिये जाने के बाद विधिवत तरीके से अन्तिम निर्णय पारित किया गया है। अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त/रेस्पोजेन्टान की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 26.03.2024 के विरुद्ध दिनाक 20.06.2024 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह 24 दिन पश्चात पेश की गयी है। जो विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्त द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.03.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 14.06.2024 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दू नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्तान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न० 164 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम भानोत तहसील मुण्डावर में भगवानाराम पुत्र श्योदान के कब्जेकाशत एवं खातेदारी की आराजी रही है, तथा अपीलान्त के पिता ने उक्त आराजी में से 10 बिस्वा आराजी वर्ष 1999 में वास्ते रिहायस जरिये इकरारनामा दिनाक 10.03.1999 को खरीद किया था, लेकिन उक्त आराजी को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1993 में अवाप्त कर लिया गया, लेकिन अवाप्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज नहीं हुआ तथा न ही आराजी को चिन्हित किया गया तथा वक्त खरीद

  
**जिला कलक्टर**

**जिला खैरथल-निजारा (राज०)**

विवेचित पारित किया गया है। जिससे मिन अपीलान्त को काफी मजकूर होना पडा है।

करते समय राजस्व रिकार्ड देखने पर भी अवाप्त भूमि की जानकारी नहीं हुयी तथा मिन अपीलान्ट के पिता ने जायदाद खरीद करने के बाद अपने चारो पुत्र में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, भाग में जायदाद का विभाजन कर दिया। अपीलान्ट द्वारा अपने पिता की खरीदशुदा आराजी में अपने रिहायशी मकानात का निर्माण किया था। तथा निर्माण करने के बाद से कभी भी किसी भी संस्था, राजस्व कर्मचारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा वक्त खरीद से ही मिन अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा जायदाद पर काबिज है, तथा उपयोग-उपभोग कर रहा है। लेकिन वर्तमान सैटलमेंट के दौरान गत आराजी खसरा न0 164 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के हाल आराजी खसरा न0 1121/164 पैमूद करते समय अपीलान्ट के पिता की खरीदशुदा जायदाद जिसमें मिन अपीलान्ट द्वारा निर्माण किया है, को गैरमुमकिन सडक में दर्शित कर दिया गया है, जबकि मिन अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार से गैरमुमकिन सडक की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं किया है। वकील रेस्पोंडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है, कि विवादित भूमि आराजी खसरा न0 164 साबिक आराजी खसरा न0 135 वाके ग्राम भानोत में अजरका से सोडावास सडक पर ग्राम भानौत में बाईपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी वृत पंचम जयपुर के द्वारा पारित अवार्ड दिनाक 31.03.1993 के द्वारा भूमि अधिग्रहण की गयी थी, भूमि अधिग्रहण के समय यह सडक ग्रामीण सडक की क्षेणी में थी, एवं वर्ष 2005 में सडक का उन्नयन स्टेट हाईवे में किया गया। राजस्व रिकार्ड में रेस्पोंडेन्टान का अमल दर्ज हो चुका है, लेकिन अपीलान्ट का नाम आज भी दर्ज नहीं है। तहत अदालत की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का भानौत तहसील मुण्डावर द्वारा दिनाक 15.09.2023 को यादराम पुत्र हरलाल जाति जाट द्वारा सम्वत 2080 आराजी खसरा न0 1121/164 रकबा 0.1125 है0 में से 0.02 है0 किस्म गैरमुमकिन सडक की भूमि में आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्ध रिपोर्ट धारा अन्तर्गत 91 एल. आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जारी नोटिस की पुख्ता तामील होने पर अतिक्रमी दिनाक 23.02.2024 को तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया गया, जो तहत पत्रावली में शामिल मिसल है। अतिक्रमी द्वारा स्वयं: स्वीकार किया गया है, कि आराजी खसरा न0 164 पर काबिज है, खसरा न0 1121 से कोई वास्ता नहीं है, आराजी खसरा न0 164 अपीलान्ट के पिता द्वारा वर्ष 1999 में 10 बिस्वा आराजी खरीद की गयी थी, यह आराजी वर्ष 1993 में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त हो चुकि थी, अवाप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अनजाने में आराजी जरिये इकरानामा खरीद की गयी। वर्णित आराजी की राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण कर निर्माण करने का अधिकारी नहीं है, अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण सिद्ध होने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर अतिक्रमी के विरुद्ध विधिवत निर्णय पारित कर मौके से बैदखली के आदेश पारित किये हैं, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 26.03.2024 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)  
पिता क्लर्क  
खैरथल तहसील (रा.न0 1030)